बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–03–26/2025(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–.................................

सिविल सर्जन, वैशाली, हाजीपुर के पत्रांक–1730 दिनांक–17.07.2025 द्वारा डॉ० कासिफ रहमान, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वीरपुर, राघोपुर, वैशाली के विरूद्ध निर्धारित रोस्टर के अनुसार आकस्मिक/बाह्य कक्ष डयूटी पर प्रायः अनुपस्थित रहने, सिविल सर्जन, वैशाली के पत्रांक–1396 दिनांक–16.06.2025 द्वारा दिनांक–16.06.2025 को कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने के कारण परिजन द्वारा हंगामा करने पर डॉ० रहमान से कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने के आरोप में स्पष्टीकरण की मॉग करने बावजूद स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने तथा दिनांक–19.05.2025 को संस्थान में अनुपस्थित रहने के आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोप के आलोक में डॉ० रहमान से विभागीय ज्ञापन स0–915(9) दिनांक–08.08.2025 द्वारा आरोप–पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गयी।

2. विभाग द्वारा गठित आरोप के आलोक में डॉ० रहमान द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन समर्पित कर अकित किया गया है कि वे दिनाक–19.05.2025 एवं दिनाक–16.06.2025 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राघोपुर, वैशाली में उपस्थित थे। उनके द्वारा किए गए कार्य को उक्त तिथि में बाह्य कक्ष के मरीजों को पंजी से सत्यापित किया गया। संस्थान में CT Scan मशीन का सुविधा नहीं होने के कारण श्री नरेश राय को दिनांक–19.05.2025 को NMCH पटना के लिए रेफर किया गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त डॉ० रहमान द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन में उपलब्ध साक्ष्य को स्वीकार करते हुए भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देने का विनिश्चय किया गया।

4. अतएव डॉ० कासिफ रहमान, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वीरपुर, राघोपुर, वैशाली के विरूद्ध ज्ञापन सं0–915(9) दिनांक–08.08.2025 द्वारा गठित आरोप–पत्र में बचाव का लिखित अभिकथन को स्वीकार करते हुए भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–03–26/2025(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–.................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

12/03/2026

15

ज्ञापांकः–9/आ0–03–26/2025(स्वा0) 299(9) /पटना, दिनांकः– 12.03.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० कासिफ रहमान, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वीरपुर, राघोपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/03/2026

सरकार के अवर सचिव।